जेपीआर 5–654

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
रजि0 का0–कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)
कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर–302008
फोन नं0 – 0141–2747041, फैक्स नं0 – 0141–2744803
ईमेल – c_comml@yahoo.com

एफ 5(284)PH II

क्र0जेपीडी/अअ/वा./अधिअभि (वा–I)/जेपीआर/प्रे0 1224 दिनांक – 03.08.2012

आदेश

विषय – कृषि मीटर्ड श्रेणी के मीटर बन्द/खराब होने की स्थिति में उस अवधि के लिये ऊर्जा खपत का आंकलन।

कृषि उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की जा रही बिजली की गणना के लिए आदेश संख्या जेपीआर 5–237 दिनांक 03.11.2004 द्वारा यह निर्देश जारी किये थे कि सभी कृषि मीटर्ड श्रेणी उपभोक्ताओं के मीटर बन्द या खराब होने पर उनकी बिलिंग बन्द या खराब रहने की अवधि के लिए फ्लेट रेट के अनुसार की जाए।

विभिन्न वृतों के राजस्व विवरणिकाओं के अध्ययन से यह ज्ञात हो रहा है कि राज्य में सभी मीटर्ड श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं के मीटर खराब या बन्द होने पर इस अवधि की बिलिंग फ्लेट रेट से की जा रही है, परन्तु अलग–अलग मापदण्डों से विद्युत उपभोग यूनिटों का आंकलन किया जा रहा है।

यह मामला डिस्कॉम कॉर्डिनेशन फॉरम की दिनांक 27.07.2012 को आयोजित बैठक में चर्चा हेतु लाया गया एवं राज्य सरकार द्वारा जारी नीतिगत निर्देशानुसार कृषि श्रेणी के मीटर्ड उपभोक्ताओं के मीटर बन्द/खराब होने की स्थिति में फ्लेट रेट के अनुसार राशि की बिलिंग करने पर उस अवधि में की गई विद्युत ऊर्जा की खपत का आंकलन निम्नानुसार करने का निर्णय लिया गया।

क. **ब्लॉक आपूर्ति वाले क्षेत्रों के लिए (ग्रामीण क्षेत्र)**

(अ) माह मई से सितम्बर तक सामन्यतः खरीफ में कृषि के लिए रबी से कम विद्युत खपत होती है, इसलिए विनियामक आयोग द्वारा कृषि श्रेणी के फ्लेट रेट हेतु

निर्धारित 1945 यूनिट प्रति किलोवाट वार्षिक अनुसार मीटर खराब/बन्द रहने की 153 दिनों की अवधि के लिए 31.30 प्रतिशत अर्थात् 609 यूनिट के अनुरूप 3.98 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिदिन आंकलित करें।

(ब) माह अक्टूबर से अप्रैल तक रबी के दौरान कृषि श्रेणी के फ्लेट रेट हेतु निर्धारित 1945 यूनिट प्रति किलोवाट वार्षिक अनुसार खराब/बन्द रहने की 212 दिनों की अवधि के लिए 68.70 प्रतिशत अर्थात् 1336 यूनिट के अनुरूप 6.30 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिदिन आंकलित करें।

(स) इस प्रकार की गई गणना पूरे वर्ष के लिए 1945 यूनिट प्रतिवर्ष के अनुरूप ही हो।

ख. **ब्लॉक से अधिक आपूर्ति वाले क्षेत्रों के लिए (शहरी क्षेत्र)**

(अ) चूंकि शहरी क्षेत्रों में औसतन 20 से 24 घण्टे तक कृषि उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति होती है, विनियामक आयोग द्वारा कृषि श्रेणी के लिए टीसीओएस–2004 में निर्धारित 8 यूनिट प्रति एच.पी. प्रतिदिन माह मई से सितम्बर तक व 12 यूनिट प्रति एच.पी.प्रतिदिन माह अक्टूबर से अप्रैल तक मीटर खराब/बन्द रहने की अवधि के लिए आंकलित करें।

ग. निगम मुख्यालय पर राजस्व संबंधी मुख्य लेखाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बिलिंग एजेन्सी द्वारा खराब/बन्द मीटरों की ऊर्जा खपत की गणना उपरोक्त अनुसार ही की जावे व बिलिंग हेतु चार्ज की जाने वाली राशि विनियामक आयोग द्वारा कृषि श्रेणी के फ्लेट रेट हेतु निर्धारित दरों के अनुसार ही हो।

घ. वृत स्तर पर लेखाधिकारी सभी उपखण्डों में बन्द व खराब कृषि मीटर्ड उपभोक्ताओं की बिलिंग विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित फ्लेट रेट से व ऊर्जा की गणना, ऊर्जा अंकेक्षण व एमआईएस हेतु उपरोक्तानुसार हो, इसको सुनिश्चित करेंगे व अन्य किसी भी प्रकार से अतिरिक्त ऊर्जा की गणना शामिल न हो, इसको भी सुनिश्चित करेंगे।

ङ. संबंधित उपखण्ड के लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार कृषि उपभोक्ताओं के बिल जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि खराब/बन्द मीटर्ड उपभोक्ताओं के बिल की राशि उपरोक्तानुसर ही चार्ज की गई है व लेजर में ऊर्जा की खपत भी उपरोक्तानुसार ही दर्ज है। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर वे इसके लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होंगे।

च. चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान में बड़ी तादाद में कृषि श्रेणी के मींटर खराब/बन्द रिपोर्टेड हैं इसलिए सभी सहायक अभियन्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रत्येक खराब /बन्द मीटर की साईट का सर्वेक्षण करा लें जिसमें वर्तमान रीडिंग, ट्रांसफार्मर के साथ स्थापित मीटर बॉक्स की वेल्डिंग होने/न होने/क्षतिग्रस्त कर दिये जाने तथा मीटर की स्थिति के बारे में कि वह ठीक कार्य कर रहा है या वास्तव में खराब है यह अंकित कर 30 सितम्बर, 2012 तक अधिशाषी अभियन्ता के माध्यम से अधीक्षण अभियन्ता को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें। सभी अधीक्षण अभियन्ता 5 अक्टूबर तक रिपोर्ट को संकलित कर मुख्य अभियन्ता व अधीक्षण अभियन्ता(प्लान) को भेजना सुनिश्चित करें ताकि वास्तविक स्थिति के आंकलन के बाद मीटर परिवर्तन की प्रक्रिया का निर्धारण किया जा सके।

छ. शहरी क्षेत्र में खराब व बंद मीटरों को सितम्बर, 2012 तक बदलने की कार्यवाही सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित की जावे।

ज. शहरी क्षेत्र में कृषि फ्लेट रेट श्रेणी को मीटर्ड श्रेणी में सितम्बर, 2012 तक बदल दिया जावे। अधीक्षण अभियन्ता इस कार्य को समय से पूर्ण कराया-जाना सुनिश्चत करें।

झ. शहरी क्षेत्रों में कृषि कनेक्शन यदि किसी अन्य कार्य हेतु उपयोग में लिये जा रहे हों तो उनकी श्रेणी को जांच कर बदलने की कार्यवाही अधिशाषी अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित की जावे।

आज्ञा से,

(एस0 सी0 शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता(वाणिज्य)

D/joshi/JPR-